बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

संख्या–नि0को0 (बक्सर) 02–45/2019–.............................(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–...................

श्री नीरज कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, चक्की, बक्सर के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, बक्सर के पत्रांक–01–1124/स्था0, दिनांक–01.07.2019 द्वारा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत पारित विनिश्चिय का ससमय अनुपालन नहीं करने, न्यायालय में ससमय उपस्थित न होने, अतिक्रमण नहीं हटाये जाने, मुख्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने जैसे आरोप प्रतिवेदित है।

2. उक्त आरोपों के आलोक में विभागीय पत्रांक–939(नि0को0) दिनांक–26.12.2019 द्वारा आरोपी पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। कतिपय स्मारों के बावजूद भी आरोपी पदाधिकारी का स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने के कारण प्रतिवेदित आरोपों हेतु अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विभागीय संकल्प सं0–17(15), दिनांक–06.01.2021 से श्री कुमार को निलंबित करते हुए इनका मुख्यालय– आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमण्डल, पटना निर्धारित किया गया।

3. गठित आरोप पत्र एवं संलग्न साक्ष्यों के समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प संख्या–57(15), दिनांक–22.01.2021 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध आरोपों की सम्यक् जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–17(2) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। इस विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता, बक्सर को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

4. अपर समाहर्त्ता–सह–संचालन पदाधिकारी, बक्सर के पत्रांक–03–1147, दिनांक–11.05.2022 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के निष्पादनोपरान्त जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने मंतव्य में सभी आरोपों को प्रमाणित अंकित किया गया।

5. जाँच प्रतिवेदन में प्रमाणित आरोपों के आलोक में विभागीय पत्रांक–1036(15), दिनांक–25.07.2022 द्वारा श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा/अभ्यावेदन समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया। श्री कुमार द्वारा दिनांक–22.02.2023 से अपना द्वितीय कारण पृच्छा/अभ्यावेदन विभाग में समर्पित किया गया। आरोपी द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा में अंकित तथ्यों के आलोक में आरोपों एवं निलंबन से मुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया।

6. आरोप पत्र में अंकित आरोपों, संचालित विभागीय कार्यवाही में प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के संदर्भ में आरोपी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण–पृच्छा/अभ्यावेदन के समीक्षोपरान्त प्रमाणित आरोपों के लिए अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प सं0–1290(15) दिनांक–28.06.2023 द्वारा श्री नीरज कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, चक्की, बक्सर सम्प्रति निलंबित मुख्यालय– आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमण्डल, पटना के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–14(i) के तहत **'निन्दन'** एवं नियम–14(V) के तहत **"संचयी प्रभाव के बिना 01 (एक) वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड"** अधिरोपित किया गया, साथ ही निलंबन मुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की गई।

D:\2026_jiten\Viniyaman Sankalp_26\Niraj kr_ CO_(Chakki Buxar).doc

7. अतएव निलम्बन अवधि (**दिनांक–06.01.2021 से 27.06.2023**) की सेवा विनियमन हेतु श्री कुमार से प्राप्त अभ्यावेदन दिनांक–28.03.2025 पर सम्यक् विचारोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–11(4) के निहित प्रावधानों के आलोक में इन्हें निलम्बन अवधि (दिनांक–06.01.2021 से 27.06.2023) **के लिए जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा तथा उक्त अवधि की सेवा को सभी प्रयोजनों के लिए विनियमित किया जाता है एवं उक्त निलंबन अवधि सेवानिवृत्ति उपरान्त लाभों/पेंशनादि के प्रयोजनार्थ गणनीय होगी।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

ई–मेल/
स्पीड–पोस्ट

ज्ञापांक– नि0को0 (बक्सर) 02–45/2019–523(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–13.4.26

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, बक्सर एवं बांका/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, बक्सर एवं बांका/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना (**मूल प्रति में**)/श्री नीरज कुमार, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, बांका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।